उत्तर प्रदेश शासन,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

संख्या-40/2023/बी-2-756/दस-2023/10-14002(002)/1/2021

लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

शुद्धि पत्र/कार्यालय ज्ञाप

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-35/2023/बी-2-724/दस-2023/ 10-14002(002)/1/2021 दिनॉक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत नागर निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर अवशेष समनुदेशन की धनराशि रूपये 1639.2761 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर की पॉचवी पंक्ति में धनराशि "रूपये 1639.2761 करोड़" के स्थान पर त्रुटिवश धनराशि "रूपये 1693.2761 करोड़" अंकित हो गयी है।

2- उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनॉक 17 नवम्बर, 2023 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर की पॉचवी पंक्ति में अंकित धनराशि "रूपये 1693.2761 करोड़" के स्थान पर धनराशि "रूपये 1639.2761 करोड़ (रूपये एक हजार छः सौ उनतालीस करोड़ सत्ताईस लाख इकसठ हजार मात्र)" पढ़ा जाय।

उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनॉक 17 नवम्बर, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-40/2023/बी-2-756/दस-202310-14002(002)/1/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. अपर निदेशक,राज्य वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय (डी.एफ.पी.आर.),उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9.
9. नगर विकास अनुभाग-9.

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in